श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 15 अक्तूबर, 1987

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/58-87/41215.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मुख्य प्रशासक, फरीदाबाद मिश्रित प्रशासन, फरीदाबाद के श्रमिक श्री लाल चन्द, पुत्र श्री कृष्ण राम, मकान नं० 33/115, एन०आई०टी०, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री लाल चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/पानी/85-87/41222.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) मैनेजिंग डायरैक्टर, हरियाणा टुरिजम (यूनाईटिड होटल्स), सैक्टर 17, चण्डीगढ़, (2) टूरिजम आफिसर, स्काई लार्क, पानीपत के श्रमिक श्री गोपाल बहादुर, मार्फत भारतीय मजदूर संघ, जी०टी रोड, पानीमत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री गोपाल बहादुर की सेवा समाप्ति/छांटी की गई है या उसने कार्य से स्वयं ही गैर-हाजिर हो कर नौकरी से अपना पुनग्रहण (लियन) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/पानीपत/89-87/41230.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़, (2) कार्यकारी अभियन्ता (एस०आई०), कन्स्ट्रक्शन डिविजन, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, करनाल के श्रमिक श्री परमजीत मार्फत भारतीय मजदूर संघ, जी० टी० रोड, पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री परमजीत की सेवाओं का समापन/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?